कार्यालय पुलिस नियन्त्रण कक्ष आयुक्तालय जोधपुर

प्रेस–नोट
(दिनांक 15.10.2024)
आयुक्तालय जोधपुर

श्री राजेंद्र सिंह पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु दिनांक 14.10.2024 को वक्त 07.00 पी.एम. से 10.00 पी.एम. तक लोकल एवं स्पेशल एक्ट में कार्यवाही, शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालको के विरूद्ध व सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने वालों के विरूद्ध कानुनी कार्यवाही तथा राजकोप ऐप पर संदिग्ध व्यक्तियों के फोटो मिलान कर संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अभियान चलाया गया ।

पुलिस आयुक्तालय जोधपुर क्षेत्र में समस्त वृत सहायक पुलिस आयुक्तगण के नेतृत्व में समस्त पुलिस थानाधिकारीयों को अपने-अपने थाना क्षेत्र में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध धारा 185 एम.वी. एक्ट में कार्यवाही करने तथा सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने वालों के विरूद्ध धारा 60 पुलिस एक्ट में तथा राजकोप ऐप पर संदिग्ध व्यक्तियों के फोटो मिलान कर संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही लोकल एवं स्पेशल एक्ट में कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिए गए ।

श्री पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशों की पालना में पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के समस्त वृत अधिकारीयों ने अपने-अपने क्षेत्र के सभी थाना अधिकारी एवं पुलिस बल को इस अभियान के संबंध में ब्रीफ कर अलग-अलग टीमें बनाकर ज्यादा से ज्यादा कार्यवाही करने हेतु रवाना किया गया।

शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालको के विरूद्ध व सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने वालों के विरूद्ध कानुनी कार्यवाही करना, राजकोप ऐप पर संदिग्ध व्यक्तियों के फोटो मिलान कर संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अभियान में समस्त पुलिस थाना आयुक्तालय जोधपुर द्वारा शराब पीकर वाहन चलाते पाया गया उसके खिलाफ धारा 185 एम.वी. एक्ट के तहत् कुल 31 चालान, धारा 60 पुलिस एक्ट में कुल 90 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा राजकोप ऐप पर कुल 191 संदिग्ध व्यक्तियों का फोटो का मिलान कर 122 संदिग्ध व्यक्तियों का पर्चा 'बी' भरा गया । लोकल एवं स्पेशल एक्ट में 07 कार्यवाही की गई जिसके अंतर्गत पुलिस थाना डांगियावास द्वारा एक आरएनसी एक्ट में, महामंदिर द्वारा जुआ अधिनियम में 02 कार्यवाही तथा एक-एक कार्यवाही नागोरी गेट व सदर बाजार द्वारा की गई। पुलिस थाना मथानिया द्वारा एक आबकारी एक्ट व एक धूम्रपान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई ।

आमजन से आग्रह है कि आपके आस-पास क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैरकानूनी, अनैतिक, अवैध शराब/मादक पदार्थ बिक्री व संदिग्ध व्यक्ति आदि की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरंत संबंधित पुलिस थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष 100/112 व वॉट्सअप नं. 9530440800 पर सूचित करे ।

प्रभारी
पुलिस नियंत्रण कक्ष,
आयुक्तालय जोधपुर।